न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	जी.सी.एम.एस	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
05/2020	2020/00037	11.08.2020	26.02.2021

श्री अम्बालाल पिता कारूलाल मीणा निवासी ग्राम बनेड़िया खुर्द तहसील व जिला प्रतापगढ़

– अपीलार्थी

–: बनाम :–

श्रीमती कोदरीबाई पुत्री कारूलाल मीणा पत्नि रामलाल निवासी ग्राम भणावदा तह. व जिला प्रतापगढ़
श्रीमती थावरीबाई पुत्री कारूलाल मीणा पत्नि रमेश निवासी ग्राम हरवार तह. जीरन व जिला नीमच
श्रीमती सुन्दरबाई पुत्री कारूलाल मीणा पत्नि भगतराम निवासी ग्राम हरवार तह. जीरन व जिला नीमच
श्रीमती रूक्काबाई पुत्री कारूलाल मीणा पत्नि राजु निवासी ग्राम फोफलीया तह. जीरन व जिला नीमच
श्रीमती ईन्द्राबाई पुत्री कारूलाल मीणा पत्नि लक्ष्मण निवासी ग्राम सोडलपुरीया तह. व जिला प्रतापगढ़

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरण आदेश दिनांक 03/07/2020 न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़ (राज.) मौजा बनेड़ियाखुर्द की आराजी बाबत्

उपस्थिति :–
1. श्री धर्मचन्द नागौरी एडवोकेट
2. पैरोकार सरकार

–: आदेश :–

दिनांक – 26.02.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मांगीलाल पिता कारूलाल मीणा की संयुक्त खातेदारी मे कृषि जमीन आराजी नं. 05, 06, 16, 27, 28, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 114, 115 तथा मौजा बनेड़िया खुर्द के खाता नं. 131 में स्थित कृषि आराजी नं. 364 रकबा 0.94 है. जमीन में जिसमें 1/3 हिस्सा मांगीलाल, अम्बालाल पिता कारू मीणा एवं नन्दा नागजी पिता चौथीया मीणा 2/3 हिस्सा के नाम स्थित है जिस बाबत् अपीलान्ट अम्बालाल ने मांगीलाल की मृत्यु दिनांक 04/08/2017 को हो गई और उसके कोई वारिसान नहीं होने से अपीलान्ट द्वारा बनेड़ियाखुर्द के दोनो खातों बाबत् मांगीलाल के बजाय उसके नाम विरासती इन्तकाल भरने बाबत् प्रार्थना पत्र तहसीलदार प्रतापगढ़ के यहाँ प्रस्तुत किया जो दर्ज होकर उसकी सुनवाई प्रारम्भ हुई जिसमें रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सहमति अम्बालाल के नाम पर इन्तकाल भरने में दी ओर उनके बयान पत्रावली में लेखबद्व करवाये ओ प्रकरण में अपीलान्ट के वकील द्वारा

227

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

लिखित बहस की जा चुकी है ओर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के साथ साथ रेस्पोडेन्ट का नाम भी मांगीलाल के विरासती इन्तकाल दायर करने में अंकन करने हेतु आदेश प्रदान किया जिससे नाराज होकर अपीलान्ट की यह अपील निम्न आधारों पर पेश है–

1. यह की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौजा बनेडियाखुर्द की कुल किता 13 रकबा कुल 4.78 है, बाबत् विरासती इन्तकाल भरने का तहसीलदार द्वारा दिनांक 03/07/2020 को आदेश दिया जिसमें रेस्पोडेन्ट का नाम अंकन करने का आदेश प्रदान किया जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 के विपरीत है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 अनुसूचित जनजाति में लागु नहीं होती है और केवल मात्र नरसंतान ही को विरासती अधिकार दिये जाते है जिस कारण अधिनस्थ न्यायालय का यह आदेश न्याय एवं नियमों के विरूद्ध निरस्त होने योग्य है।
2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने मनोहरगढ़ की आराजी नं. 364 रकबा 0.94 हैक्टर जो मृतक मांगीलाल के नाम पर है जिसकी नकल अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अपने नाम मांगीलाल के बजाय इन्तकाल दायर करने बाबत् प्रस्तुत किया जिसमें उक्त खातें की नकल अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में उक्त आराजी नं. बाबत् विरासती इन्तकाल खोलने बाबत् कोई आदेश नहीं किया जिस कारण उक्त आदेश त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त होने योग्य हैं।
3. यह कि अपील के साथ मृतक मांगीलाल के मौजा मनोहरगढ़ के खाते की प्रति अपील मेमो के साथ है।
4. यह कि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश है। और अपील उचित न्याय मुद्रांक पर अन्दर मियाद पेश है।
5. यह कि रेस्पोडेन्ट की सूचना हेतु अपील मेमो की नकल मय सम्मन नोटिस प्रोसेस अपील के साथ पेश है।
6. यह कि अन्य उजरात वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे।

अतः अपील अपीलान्ट की ओर से पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.07.2020 निरस्त करने ओर विवादाग्रस्त आराजीयात तन्हा अपीलान्ट के नाम अंकन करने हेतु आदेश प्रदान करावें और प्रकरण तहसीलदार को पुनः प्रेषित किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किए गए जिनकी बाद तामील रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 कि ओर से कोई उपस्थित नहीं अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में बहस अपीलार्थी एक तरफा पूर्ण की गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम बनेडियाखुर्द में स्थित संयुक्त खातेदारी भूमियां आराजी संख्या 05, 06, 16, 27, 28, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 114, 115 कुल किता 13 सम्पूर्ण रकबा 4.78 हैक्टर तथा ग्राम के खाता संख्या 131 में दर्ज आराजी संख्या 364 रकबा 0.94 हैक्टर में से 1/18 हक हिस्से के अनुसार तथा ग्राम की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 364/2 रकबा 0.16 हैक्टर दिगर मृत्तक खातेदार श्री मांगीलाल मीणा निवासी बनेडियाखुर्द पटवार मण्डल मनोहरगढ़ तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ के दिनांक 04.08.2017 को तथा उनकी पत्नि श्री मंती रामीबाई की मृत्यु दिनांक 31.07.2017 को लाऔलाद फौत होने उक्त मृतकों के वारीसान में शुमार अपीलार्थी (अम्बालाल पुत्र कारूलाल मीणा निवासी बनेडियाखुर्द पटवार मण्डल मनोहरगढ़ तहसील एवं जिला प्रतापगढ़) के साथ साथ अपीलार्थी की बहिने श्रीमती कोदरीबाई, थावरीबाई, सुन्दरबाई, रूक्का बाई, एवं ईन्द्राबाई के द्वारा तहसीलदार के समक्ष उक्त विरासत

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

का नामान्तरकरण कार्यवाही में उनके नाम शामील नहीं करते हुए पूरा खाता भाई अपीलार्थी के नाम दर्ज करने हेतु सहमती पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय (तहसीलदार, प्रतापगढ़) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने उपरान्त भी तहसीलदार, प्रतापगढ़ द्वारा निर्णित नामान्तरकरण प्रकरण संख्या 19/2017 निर्णय दिनांक 03.07.2020 अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में समेकित रूप से दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया गया जबकि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्टगण अनुसूचित जन जाति संवर्ग के सदस्य होकर उन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के धारा 2 के प्रावधान लागु नहीं होते है। जिससे यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा पारीत निर्णय दिनांक 03.07.2020 को अपास्त फरमा राजस्व ग्राम बनेडियाखुर्द में स्थित संयुक्त खातेदारी भूमियां आराजी संख्या 05, 06, 16, 27, 28, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 114, 115 कुल किता 13 सम्पूर्ण रकबा 4.78 हैक्टर तथा ग्राम के खाता संख्या 131 में दर्ज आराजी संख्या 364 रकबा 0.94 हैक्टर में से 1/18 हक हिस्से के अनुसार तथा ग्राम की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 364/2 रकबा 0.16 हैक्टर के दिगर मृतक खातेदार श्री मांगीलाल मीणा निवासी बनेडियाखुर्द पटवार मण्डल मनोहरगढ़ तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ के दिनांक 04.08.2017 के विरासत से इन्तकाल में अपीलार्थी के नाम तन्हा दर्ज करने का आदेश प्रदान कराने के निर्देश प्रदान करावें।

बहस पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत अपील मेमों दिनांक 24.07.2020 एवं अधिनसथ तहसीलदार प्रतापगढ़ से निर्णित प्रकरण संख्या 19/2017 निर्णय दिनांक 03.07.2020 एवं प्रकरण में लागु प्रचलित विधियों के साथ गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि राजस्व ग्राम बनेडियाखुर्द में स्थित संयुक्त खातेदारी भूमियां आराजी संख्या 05, 06, 16, 27, 28, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 114, 115 कुल किता 13 सम्पूर्ण रकबा 4.78 हैक्टर तथा ग्राम के खाता संख्या 131 में दर्ज आराजी संख्या 364 रकबा 0.94 हैक्टर में से 1/18 हक हिस्से के अनुसार तथा ग्राम के खाता संख्या 276 में दर्ज आराजी संख्या 364/2 के तन्हा खातेदारी दिगर मृतक खातेदार श्री मांगीलाल मीणा निवासी बनेडियाखुर्द पटवार मण्डल मनोहरगढ़ तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ के दिनांक 04.08.2017 को मृत्यु हो जाने उपरान्त दिगर खातेदार श्री मांगीलाल एवं उसकी पत्नि श्रीमती रामीबाई की मृत्यु दिनांक 31.07.2017 को हो जाने से उक्त भूमि के विधिक वारीसान सजरा खानदान अनुसार अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 प्रथम श्रेणी के विधिक वारीसान दर्शित रिकार्ड होना तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 19/2017 में प्राप्त जांच रिपोर्ट पटवार हल्का मनोहरगढ़ अनुसार प्रतीत होते हैं किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधार कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्टगण आदिम जाति (अनुसूचित जनजाति) के सदस्य होने की स्थिति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अन्तर्गत विरासत से इन्तकाल कार्यवाही हेतु प्रचलित विधियों के तहत प्रश्नगत नामान्तरकरण की कार्यवाही अन्तर्गत अमल में लाया जाया संशयप्रद प्रतीत होता है जिससे अपील अपीलार्थी विधिक स्थिति में सारभूत साबित होती है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कि जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, प्रतापगढ़ से निर्णित प्रकरण संख्या 19/2017 निर्णय दिनांक 03.07.2020 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निर्णित प्रकरण संख्या 19/2017 का पुनर्विलोकन अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्टगण के जाति (आदिम जाति अनुसूचित जनजाति) संवर्ग सदस्यों हेतु प्रचलित कस्टोमरी लॉ एवं विरासत के कानुन में प्रचलित विधियों के तहत सामुचित संपुष्टि उपरान्त विधिवत नामान्तकरण की कार्यवाही अमल में लाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया लेखबद्ध किया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

जिला कलक्टर प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner